निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व
(यथा 31 मई, 2026 तक)

I. निदेशक मंडल

क्र.सं.	निदेशकों का नाम और पदनाम	श्रेणी नाम
1	श्री संजय शुक्ला	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक)
2	श्री सतीश के. मराठे, केंद्रीय निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक	भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक
3	श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	भारत सरकार के नामित निदेशक
4	श्री अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवासन), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	भारत सरकार के नामित निदेशक
5	श्री हार्दिक मुकेश सेठ, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	भारत सरकार के नामित निदेशक
6	श्रीमती सारिका प्रधान, सचिव, समाज कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार	राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक
7	श्री पंकज, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग, हरियाणा सरकार	राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक

निदेशक मंडल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

1. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार, निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 12 (3) के अनुसार, निदेशक मंडल ऐसी अन्य समितियों (निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के अलावा) का गठन कर सकता है, चाहे वे पूर्णतः निदेशकों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अंशतः निदेशकों से और अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी हों, जैसा कि वह ऐसे प्रयोजनों के लिए ठीक समझे, जैसा कि वह तय कर सकता है, और इस प्रकार गठित कोई भी समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी, जो निदेशक मंडल द्वारा उसे सौंपे जाएं।

3. अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित कोई भी उप-समिति (कार्यकारी समिति से भिन्न), उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों से आबद्ध होगी। ऐसी किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम उसकी सदस्य संख्या का एक-तिहाई (उस एक-तिहाई में निहित किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगी।

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व
(यथा 31 मई, 2026 तक)

4. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 13 के संदर्भ में, निदेशक मंडल का कोई निदेशक या समिति का कोई सदस्य, जिसका निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हित हो, उसे प्रासंगिक परिस्थितियों के संज्ञान में आने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना होगा और यह खुलासा, यथास्थिति, निदेशक मंडल या समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा और निदेशक या सदस्य उस मामले के संबंध में निदेशक मंडल या समिति के किसी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।

5. निदेशक मंडल बैंक की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल की मौजूदा उप-समितियों का पुनर्गठन कर सकता है।

6. निदेशक मंडल की उप-समितियाँ, चाहे वे पूर्णतः निदेशकों से बनी हों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से, या आंशिक रूप से निदेशकों और आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों से बनी हों, नीतिगत मामलों, वैधानिक दिशानिर्देशों, नियामक दिशानिर्देशों आदि से संबंधित किसी भी विचलन की सूचना निदेशक मंडल को देंगी। ऐसी सूचना तत्काल दी जानी चाहिए।

7. सभी नीतियों की समीक्षा की जाएगी और संबंधित नीतियों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाएगा।

8. निदेशक मंडल की उप-समितियों के कार्यवृत्त सूचना के रूप में निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

9. निदेशक मंडल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की कार्यवाही रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाएगी।

10. निदेशक मंडल की संबंधित उप समितियों के माध्यम से सिफारिश के बाद निदेशक मंडल द्वारा सभी नीतियों की समीक्षा की जाएगी।

II. राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल की उप-समितियाँ

1. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति**

वर्तमान सदस्य	(i)	श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष
	(ii)	श्री सतीश के. मराठे, सदस्य
	(iii)	श्री कुलदीप नारायण, सदस्य
	(iv)	श्री अमित शुक्ला, सदस्य
	(v)	श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व

(यथा 31 मई, 2026 तक)

भूमिका और जिम्मेदारियाँ	निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति की बैठक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 और राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियम, 1988 के अनुसार आयोजित की जाएगी, जो निम्नानुसार है: क राष्ट्रीय आवास बैंक की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक मंडल के पाँच से अनधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (च) के तहत नामित निदेशकों के अलावा निदेशक होगा। ख कार्यकारी समिति को राष्ट्रीय आवास बैंक के सभी सामान्य व्यवसाय को संचालित करने की पूर्ण शक्तियां होंगी, सिवाय उन मामलों के जो अधिनियम या इन विनियमों के विनियम 9 द्वारा निदेशक मंडल के लिए विशेष रूप से आरक्षित हैं। ग कार्यकारी समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा, या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक द्वारा, या दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य निदेशक द्वारा, जैसा भी मामला हो, बुलाई जाएंगी और नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी, जिसे बैठक बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। घ उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी तीन निदेशक कार्यकारी समिति द्वारा व्यवसाय के लेन-देन के लिए कोरम का गठन करेंगे। ङ लिखित रूप में संकल्प, जो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कार्यकारी समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया हो और उनमें से किन्हीं तीन द्वारा अनुमोदित किया गया हो, वैध और प्रभावी होगा तथा उसे कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प माना जाएगा, जिस तारीख को संकल्प पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए हों।

III. निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ

1. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 12 की उपधारा (3) के तहत गठित कोई भी समिति (कार्यकारी समिति के अलावा), उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों से बाध्य होगी, जो निदेशक मंडल समय-समय पर दे सकता है।
2. ऐसी समिति की बैठकें समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिल्ली में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर बुलाई जाएंगी, जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व (यथा 31 मई, 2026 तक)

3. ऐसी किसी समिति की बैठक के लिए कोरम उसकी सदस्य संख्या का एक-तिहाई (उस एक-तिहाई में निहित किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगी।
4. अधिनियम के प्रावधान और इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये विनियम ऐसी समिति की बैठकों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे निदेशक मंडल की बैठकें हों।

2. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री पंकज, अध्यक्ष (ii) श्री सतीश के. मराठे, सदस्य (iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (iv) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• बैंक की वार्षिक जोखिम आधारित लेखा परीक्षा योजना और समवर्ती लेखा परीक्षा योजना की समीक्षा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा और निरीक्षणों का कवरेज/क्षेत्र। • समवर्ती और सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्टों सहित सभी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों से उत्पन्न महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा। • आंतरिक लेखा परीक्षकों/समवर्ती लेखा परीक्षकों और बाह्य लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सिफारिशों को संबोधित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना। • लेखापरीक्षा कार्य से संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा पहचानी गई कमियों की समीक्षा करना, उन्हें उचित समय-सीमा के भीतर दूर करना तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की प्रगति की सूचना निदेशक मंडल को दी जाए। • ऐसे मामले में लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए किसी विशेष लेखा परीक्षा/स्पॉट लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण/प्रणालियों की विफलता या कानूनों और विनियमों का उल्लंघन होने का संदेह हो और मामले की रिपोर्ट निदेशक मंडल को देना (यदि आवश्यक हो)। • लेखापरीक्षा नीतियों, कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अन्य पहलों की समीक्षा और अनुमोदन। • तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर बैंक के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा। • बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और उनके कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए आरबीआई को सिफारिश। • बैंक के भीतर जोखिम अभिसरण (बैंक के अनुपालन और जोखिम प्रबंधन कार्यों के साथ सहयोग) को बढ़ावा देना। • लेखापरीक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना तथा अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व (यथा 31 मई, 2026 तक)

	• तिमाही/अर्धवार्षिक लेखापरीक्षा और अन्य प्रमाणन आदि के लिए बैंक के वैधानिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश। • बैंक के जीएसटी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और वार्षिक आधार पर देय पारिश्रमिक। • लेखापरीक्षा नीति में परिभाषित वृद्धि मैट्रिक्स के संदर्भ में आंतरिक और समवर्ती लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन के लिए समयसीमा के विस्तार की समीक्षा और अनुमोदन। • बैंक के स्टाफ जवाबदेही मामलों की स्थिति की समीक्षा करना। • जानबूझकर चूक के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना तथा ऐसा होने पर उनका शीघ्र पता लगाना।

3. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति**

वर्तमान सदस्य	**(i)** श्री अमित शुक्ला, अध्यक्ष (ii) श्री कुलदीप नारायण, सदस्य (iii) श्री पंकज, सदस्य (iv) श्री संजय शुक्ला, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• आरंभ की गई/प्रगति पर/समाप्त हुई अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा करना। • निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति द्वारा पहले से अनुमोदित विभिन्न मानव संसाधन पहलों की कार्यान्वयन स्थिति। • नई भर्ती का प्रस्ताव • नई मानव संसाधन पहलें • कोई अन्य मानव संसाधन मामले जो मानव संसाधन समिति के समक्ष रखे जाने योग्य समझे जाएं। • मानव संसाधन से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना और अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।

4. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की पर्यवेक्षी समिति**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री सतीश के. मराठे, अध्यक्ष (ii) श्री कुलदीप नारायण, सदस्य

<u>निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न</u>
<u>उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व</u>
(यथा 31 मई, 2026 तक)

	(iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (iv) श्री संजय शुक्ला, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• राष्ट्रीय आवास बैंक की पर्यवेक्षी प्रभावशीलता की निगरानी • आवास वित्त कंपनियों की सामान्य स्थिति का व्यापक अवलोकन प्राप्त करना। • पर्यवेक्षी गतिविधियों पर एजेंडा तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। • आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण के दौरान सामने आए प्रमुख घटनाक्रम, जिनमें आवास वित्त कंपनियों के प्रमुख निरीक्षण अवलोकनों का सार भी शामिल है, समिति की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। • कोई अन्य एजेंडा मद जो राष्ट्रीय आवास बैंक के पर्यवेक्षी कार्य पर प्रभाव डालता है, उसे समिति के ध्यान में लाया जाता है • पर्यवेक्षी कार्यों से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना तथा अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।

5. समिति का नाम: **<u>गैर-सहकारी उधारकर्ताओं एवं इरादतन चूककर्ता पर निदेशक मंडल की समीक्षा समिति</u>**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष (ii) श्री कुलदीप नारायण, सदस्य (iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के साथ पहचान समिति (आंतरिक समिति) के प्रस्ताव पर विचार करना तथा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना। • उपरोक्त के आधार पर मूल्यांकन करना तथा तर्कसंगत आदेश पारित करना।

6. समिति का नाम: **<u>निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति</u>**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री सतीश के. मराठे, अध्यक्ष (ii) श्री अमित शुक्ला, सदस्य (iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (iv) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य

<u>निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न</u>
<u>उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व</u>
(यथा 31 मई, 2026 तक)

भूमिका और जिम्मेदारियाँ	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन F. No. 3/2/2009- IF.I दिनांक 24-06-2009 के अनुसार, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा 12 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी 89 वीं बैठक में किया गया था। आशय विवरण मापदंडों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा का मूल्यांकन।

7. समिति का नाम: **<u>निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)</u>**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, अध्यक्ष (ii) श्री कुलदीप नारायण, सदस्य (iii) श्री सतीश के. मराठे, सदस्य (iv) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य (v) श्री संजय शुक्ला, सदस्य आमंत्रिती विशेषज्ञ (i) श्री अतुल कुमार, आमंत्रिती विशेषज्ञ (ii) श्री दिनेश मिस्त्री, आमंत्रिती विशेषज्ञ
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं (लोगों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति के अनुरूप हैं। • जोखिम सीमाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना, जिसमें जहां भी लागू हो, ट्रिगर या स्टॉप-लॉस शामिल हैं, तथा निदेशक मंडल को सिफारिश करना। • वित्तीय मॉडलों की मजबूती और जोखिमों की गणना के लिए प्रयुक्त सभी प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। • निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता सीमा के संबंध में बैंक के प्रदर्शन की निगरानी करना। • जोखिम की पहचान, आकलन, शमन, रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने, पूंजी और चलनिधि पर्याप्तता निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए सटीक आंतरिक और बाह्य डेटा सुनिश्चित करना। • आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न
उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व
(यथा 31 मई, 2026 तक)

	• समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल के माध्यम से बैंक के समक्ष आने वाले जोखिम का नियमित मूल्यांकन करना। • जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना और अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना। • सत्यापन के आधार पर मौजूदा/नए क्रेडिट मॉडल के विकास, कार्यान्वयन और संशोधन को मंजूरी देना। • आईसीएएपी नीति और दस्तावेज़ की समीक्षा और अनुशंसा करना • एएलएम विवरण और तरलता अनुपात में विचलन/उल्लंघन की पुष्टि करना। • प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) और रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स (आरएफए) फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता को मंजूरी देना और उसकी निगरानी करना तथा रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स की स्थिति की समीक्षा करना।

8. समिति का नाम: **धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीबीएफ)**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री अमित शुक्ला, अध्यक्ष (ii) श्री सतीश के. मराठे, सदस्य (iii) श्री पंकज, सदस्य (iv) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (v) श्री संजय शुक्ला, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	विशेष समिति का कार्य 10 मिलियन रुपये और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना होगा ताकि: • यदि कोई प्रणालीगत कमी है जिसके कारण धोखाधड़ी को अंजाम देने में मदद मिली है तो उसकी पहचान करें तथा उसे दूर करने के लिए उपाय करना। • यदि कोई देरी हुई हो तो उसका कारण पता लगाना तथा बैंक और आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करना। • सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति और वसूली की स्थिति पर नजर रखना।

	• सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई बिना समय गंवाए शीघ्र पूरी की जाए। • धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करना, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना। • धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य उपाय लागू करना। • धोखाधड़ी निगरानी से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना तथा अंतिम अनुमोदन/अधिग्रहण के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।

9. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसीबी)**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री कुलदीप नारायण, अध्यक्ष (ii) श्री पंकज, सदस्य (iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (iv) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य (v) श्री संजय शुक्ला, सदस्य आमंत्रिती विशेषज्ञ (i) श्री आर. कार्तिकेयन, महाप्रबंधक, आरबीआई, आमंत्रिती विशेषज्ञ (ii) श्री आर. आई. एस. सिद्धू, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पीएनबी, आमंत्रिती विशेषज्ञ (iii)डॉ. अभिषेक ठाकुर, आईडीआरबीटी, आमंत्रिती विशेषज्ञ
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• नई प्रणालियों की योजना, विकास और कार्यान्वयन के साथ-साथ आईटी प्रणालियों के उपयोग में बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करना। • सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना तथा अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना। • यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है। • यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं क्रियान्वित की हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करे।

	• यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभ के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, और ये बजट स्वीकार्य हैं। • सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है। • आईटी रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी समग्र रणनीति के अनुरूप हो। • इस बात से संतुष्ट होना कि आईटी गवर्नेंस जवाबदेही को बढ़ावा देता है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन हैं, संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य और स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं। • सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित) के लिए बजटीय आवंटन बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल मजबूती, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हो और इसका उपयोग घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए। • सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। • आईटी विभाग की व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

10. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की साइबर सुरक्षा समिति (सीएससीबी)**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री कुलदीप नारायण, अध्यक्ष (ii) श्री अमित शुक्ला, सदस्य (iii) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य (iv) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य (v) श्री संजय शुक्ला, सदस्य आमंत्रिती विशेषज्ञ (i) श्री आर. कार्तिकेयन, महाप्रबंधक, आरबीआई, आमंत्रिती विशेषज्ञ (ii) श्री आर. आई. एस. सिद्धू, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पीएनबी, आमंत्रिती विशेषज्ञ (iii)डॉ. अभिषेक ठाकुर, आईडीआरबीटी, आमंत्रिती विशेषज्ञ

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न
उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व
(यथा 31 मई, 2026 तक)

भूमिका और जिम्मेदारियाँ	• तिमाही/अर्धवार्षिक आधार पर साइबर सुरक्षा गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा करना। • साइबर सुरक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा करना और अंतिम अनुमोदन/अपनाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना। • सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति की समीक्षा करना। • सुनिश्चित करना कि बैंक ने साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। • सुनिश्चित करना कि साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन आरई की आईटी परिपक्वता, डिजिटल मजबूती, खतरे के वातावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप हो और इसका उपयोग घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए।

11. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससीबी)**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष (ii) श्री सतीश के. मराठे, सदस्य (iii) श्री कुलदीप नारायण, सदस्य (iv) श्री हार्दिक मुकेश सेठ, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि वाले पात्र परियोजना प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

12. समिति का नाम: **निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसीबी)**

वर्तमान सदस्य	(i) श्री पंकज, अध्यक्ष (ii) श्री अमित शुक्ला, सदस्य (iii) श्रीमती सारिका प्रधान, सदस्य
भूमिका और जिम्मेदारियाँ	i. डिबेंचर धारकों और जमा धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना ii. राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिभूति धारकों और जमा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न
उप-समितियों का गठन, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व
(यथा 31 मई, 2026 तक)

	iii. रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सेवा मानकों के पालन की समीक्षा; iv. डिबेंचर और जमा राशि के अघोषित ब्याज/मोचन आय की मात्रा को कम करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा